



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-11062021-227485
CG-DL-E-11062021-227485

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 2052]

नई दिल्ली, बुधवार, जून 9, 2021/ज्येष्ठ 19, 1943

No. 2052]

NEW DELHI, WEDNESDAY, JUNE 9, 2021/JYAISTHA 19, 1943

सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 9 जून, 2021

का.आ. 2212(अ).—केन्द्रीय सरकार, राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 (1956 का 48) की धारा 3 के खंड (क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, नीचे दी गयी अनुसूची में यथा विनिर्दिष्ट NH205 के किमी. 119.4 किमी. से 120 किमी., NH205 के किमी. 120 किमी. से 145 किमी., NH303 के किमी. 145 किमी. से 157 किमी तक के भुखण्ड के संबंध में उक्त राष्ट्रीय राजमार्ग के निर्माण (चौड़ा करने/चार लेन का बनाने, आदि), अनुरक्षण, प्रबंध और प्रचालन हेतु उक्त अधिनियम के अधीन सक्षम प्राधिकारी के कृत्यों का पालन करने के लिए इस अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशन कि तारीख से सक्षम प्राधिकारी के रूप में प्राधिकृत करती है।

अनुसूची

हिमाचल प्रदेश राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या-NH205, NH205, NH303 तक की भूमि का अर्जन।

क्रमिक संख्या	सक्षम प्राधिकारी	भूमि का विवरण	राज्य	जिले का नाम	तालुक का नाम	गांव का नाम
1	2	3	4	5	6	7
1	उपमंडल अधिकारी (सिविल) हमीरपुर	राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या NH205	हिमाचल प्रदेश	हमीरपुर	हमीरपुर	1 फरनोल (39/2)

		के कि.मी. 119.4 से 120 तक			
2	उपमंडल अधिकारी (सिविल) नादौन	राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या NH205 के कि.मी. 120 से 145 तक	हिमाचल प्रदेश	हमीरपुर	नादौन 1 कोहलवी (26/8)
3	उपमंडल अधिकारी (सिविल) जवालामुखी	राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या NH303 के कि.मी. 145 से 157 तक	हिमाचल प्रदेश	काँगड़ा	जवालामुखी 1 बंगेहड़

[फा. सं. 11014/10/4/2018/PIU-HMR]

राजेश गुप्ता, निदेशक

MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS
NOTIFICATION

New Delhi, the 9th June, 2021

S.O. 2212(E).—In exercise of powers conferred by clause (a) of section 3 of the National Highways Act, 1956 (48 of 1956), the Central Government hereby authorizes the officers mentioned in column (2) of the Schedule annexed here to as the competent authorities to perform the functions of such authorities under the said Act with effect from the date of publication of this notification in the Official Gazette, in respect of the stretch of land from Km. 119.4 to Km. 120 of the NH205, Km. 120 to Km. 145 of the NH205, Km. 145 to Km. 157 of the NH303 for building (widening/four-laning, etc.), maintenance, management and operation in the State of HIMACHAL PRADESH.

SCHEDULE

Land acquisition on National Highway No. NH205, NH205, NH303 in the State of HIMACHAL PRADESH.

Sl. No.	CALA	Stretch	State	District	Taluk/Mandal	Name of the Village
1	2	3	4	5	6	7
1	Sub-Divisional Officer (c) Hamirpur	119.4KM To 120KM	HIMACHAL PRADESH	HAMIRPUR	Hamirpur	1 Pharnoal (39/2)
2	Sub-Divisional Officer (c) Nadaun	120KM To 145KM	HIMACHAL PRADESH	HAMIRPUR	Nadaun	1 Kohalwin (26/8)
3	Sub-Divisional Officer (c) - Jawalamukhi	145KM To 157KM	HIMACHAL PRADESH	KANGRA	Jawalamukhi	1 Bangehar (312)

[F. No. 11014/10/4/2018/PIU-HMR]

RAJESH GUPTA, Director